



वेस्टर्न कोलफिल्ड्स लिमिटेड
कार्यालय- महाप्रबंधक,
पाथाखेड़ा क्षेत्र, पौ० पाथाखेड़ा
जिला-बैतूल (म० प्र०) पिनकोड-460449
टेलीफोन नं० 07146-271363, 271433,
270210 फैक्स नं० 07146-270566

WESTERN COAL FIELDS LIMITED
OFFICE OF THE GENERAL MANAGER
PATHAKHERA AREA PO. PATHAKHERA
DIST. BETUL (M.P.) PIN CODE - 460449
Tel NO 07146-271363/271433/270210
FAX: 07146 - 270566

पत्रकं० वेकोलि/मप्र./पाथा/सर्वे/ 2015/309
प्रति,

दिनांक 23.12.2015

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)
शाहपुर, जिला-बैतूल (म० प्र०)

विषय:-वेकोलि पाथाखेड़ा क्षेत्र की प्रस्तावित तवा-3, खदान हेतु 101.600 हे० एवं 25.66 हे० वनभूमि के लिए वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अंतर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदाय बाबत।

संदर्भ: कार्या.कलेक्टर/आ.जा.क.बैतूल के पत्र कं.2015/वनअधि०/13/5226 बैतूल दि.07.07.15

महोदय,

उपर्युक्त विषयांतर्गत लेख है कि, ग्राम पंचायत शक्तिगढ के ग्राम गांधीग्राम मे प्रस्तावित तवा-3 कोयला खदान प्रारंभ किया जाना है। इस भूमि का भारत सरकार कोल मंत्रालय द्वारा कोल बियरिंग एरियाज (एक्वीजिशन एण्ड डेवलपमेंट) एक्ट 1957 के तहत वेकोलि पाथाखेड़ा क्षेत्र के पक्ष में नोटीफिकेशन भी हो गया है।

संस्थान द्वारा प्रस्तावित तवा-3, कोयला खदान के लिए व० सं० अधि० -1980 के तहत दो प्रस्ताव क्रमशः 101.600 हे० एवं 25.866 हे० यह दोनों प्रस्ताव वन विभाग बैतूल को प्रेषित किये गये है। प्रस्ताव पर्या० एवं वन मंत्रालय के अनुमोदनार्थ वनमंडलाधिकारी / मु० व० सं० बैतूल, द्वारा अ० प्र० मु० व० सं० (भू-प्रबंध) भोपाल की ओर अर्पित किया गया था। व० अधि० अधि० 2006 के अंतर्गत कलेक्टर बैतूल का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्ताव में संलग्न न होने के कारण ही प्रस्ताव अ० प्र० मु० व० सं० (भू-प्रबंध) भोपाल द्वारा वन मंडलाधिकारी बैतूल को वापस किया गया है। वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु ग्राम सभा का अनुमोदन भी प्राप्त हो चुका है।

पाथाखेड़ा क्षेत्र की चार खदाने कोयला समाप्ति के कारण बंद हो चुकी है, तथा शेष दो खदाने बंद होने के नजदीक है। म० प्र० शासन राजस्व विभाग बैतूल को वे.को.लि.पाथाखेड़ा क्षेत्र की कोयला खदानों से सर्वाधिक राजस्व प्राप्त होता है। अगर खदान समय पर नहीं प्रारंभ होती है, तो खदान के कर्मचारियों के रोजगार के साथ-साथ सारनी पावर प्लांट को भी कोयले की समस्या उत्पन्न हो सकती है।

अतः आपसे नम्र निवेदन है कि सहायक आयुक्त अधिवासी विकास बैतूल को पत्र द्वारा त्रुटियों को स्पष्ट करवाने का कष्ट करे, जिससे वन अधिकार अधिनियम 2006 के अंतर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र में विलंब ना हो, जिससे वनभूमि के दोनों प्रस्ताव भारत सरकार वन एवं पर्यावरण मंत्रालय को अनुमोदन हेतु भेजा जा सके।

भवदीय
[Signature]
क्षेत्रीय महाप्रबंधक
पाथाखेड़ा क्षेत्र

- प्रतिलिपि:-1. कलेक्टर महोदय, बैतूल (म० प्र०)।
2. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) भोपाल (म० प्र०)।
3. सहायक आयुक्त आदिवासी विकास बैतूल।
4. महाप्रबंधक (भू-रा०) वेकोलि मुख्यालय नागपुर।
5. स्टैफ ऑफिसर (यो०/परि०) पाथाखेड़ा क्षेत्र।

2015

o/c
[Signature]
2015-6016
False

कार्यालय जनपद पंचायत, घोड़ाडोंगरी

क्र./ज.पं./पं.शा./2013-14/

1293

घोड़ाडोंगरी दि० 23.01.2014

प्रति,

सरपंच / सचिव,
ग्राम पंचायत शक्तिगढ

विषय :- ग्राम पंचायत शक्तिगढ के ग्राम गांधीग्राम में ग्राम सभा का आयोजन करने बाबत ।

संदर्भ :- कार्यालय कलेक्टर(आजाक), बैतूल का पत्र क्रमांक /व.अधि. /2013/टीएच/ 13/ 1171
बैतूल दिनांक 21.03.2013.

—0000—

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि, ग्राम पंचायत शक्तिगढ के ग्राम गांधीग्राम में दिनांक 29.01.2013 को ग्राम आयोजित ग्राम सभा में कलेक्टर महोदय(आदिम जाति कल्याण) बैतूल द्वारा महा प्रबंधक वेस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड पाथाखेड़ा क्षेत्र के अधीन खान शक्तिगढ के ग्राम गांधीग्राम अंतर्गत स्थित 101.608 एवं 25.866 हेक्टे. वन एवं राजस्व वन क्षेत्र के भूमिगत खनन एवं विस्तारी कार्य हेतु कार्यवाही की जावेगी । दिनांक 29.01.2014 की ग्राम सभा की विधिवत सूचना देवे एवं सदस्यों से वन अधिकार अधिनियम 2006 में निहित प्रावधानों एवं खान के भूमिगत खनन एवं विस्तारीकरण के संबंध में चर्चा उपरांत सर्व सम्मति से पारित प्रस्ताव, ग्राम पंचायत के स्पष्ट अभिमत सहित प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें ।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जनपद पंचायत घोड़ाडोंगरी

पृ.क्र./ज.पं./पं.शा./2013-14/
प्रतिलिपि:-

1293A

घोड़ाडोंगरी दि० 23.01.2014

1. कलेक्टर महोदय(आदिम जाति कल्याण) बैतूल की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित ।
2. अनुबिभागीय अधिकारी(राजस्व) शाहपुर की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित ।
3. महाप्रबंधक, वेस्टर्न कोल फील्ड लिमि. पाथाखेड़ा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
4. तहसीलदार, घोड़ाडोंगरी की ओर सूचनार्थ ।
5. नोडल अधिकारी की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जनपद पंचायत घोड़ाडोंगरी

APO/PKO
for necessary action

23/01/14

101.608 had file

काशीनाथ झा पंचायत डी.वि.बार्

विकास खंड दोड़ादोवारी तह. दोड़ादोवारी जिला बैतुल

दिनांक	उपस्थित सदस्यों के नाम	प्रस्ताव क्रमांक	प्रस्ताव	निर्णय	पास हुए प्रस्ताव	सदस्यों के हस्ताक्षर या अंगुठे का विवरण
09/15	उपस्थित सदस्यों संख्या - 62	(1)	WCL के कोयला खदान उन्निच्छाशाला के संमेलन में।	उत्पाद दिनांक 13/03/2015 को शाम 11:00 बजे से WCL कोयला खदान उन्निच्छाशाला के लिए शाम 04:00 बजे के लिए कोयला खदान के लिए अवन गैसीकरण से शाम 04:00 का आयोजन किया गया है। कैंडल में शामिल होने वाले अधिकारी श्रीमान SDM जी, एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी कोयला पंचायत अधिकारी एवं WCL के पदाधिकारी सम्मिलित हुए।	कैंडल से श्रीमान अच्युतबहादुर	

आदिग्रन्थ के सम्बंध में शास्त्रार्थों में चर्चा की एवं उन कृषकों से वसुधा चर्चा की डाई एवं समासाहस्य दी डाई कि निम्न लोगों की अभिन आदिग्रन्थों किमा पाएगा उन्हें शासन की योजनानुसार ~~कुछ~~ मुद्राओं की पालना रहेगी एवं नियमावली अनुसार उनकी डालें भी जंपुर की पावेगी। भीन कृषकों की अभीन का आदिग्रन्थ होगा है उनके परिवार के सदस्यों में वे नियमावलीनुसार नौकरी भी दी पाएगी।

अभिनि आदिग्रन्थ हेतु निम्न कृषकों की अभिनि का विवरण निम्नानुसार है-

क्र. नं.	व्यक्ति	वसुधा
① निरेन वसुधापट्ट-159	159/1	0.503

अनुसूची

बैठक कार्यवाही (प्रस्ताव) पंजी

लघु धारा पंचायत शाकिवाड़ विकास खंड दोडादेवादी तह. दोडादेवादी जिला बैतूल

उपस्थित सदस्यों के नाम	प्रस्ताव क्रमांक	प्रस्ताव	निर्णय	पास हुए प्रस्ताव	सदस्यों के हस्ताक्षर या अंगुठे का निशान
2	3	4	5	6	7
		नाम	शुद्धता	रकबा	उपस्थित
		1 निरेश क. लामापाद	159, 159/2	0.504	विश्ववीर
		2 विद्यान क. लामापाद	159 159/3	0.504	रविश्ववीर
		3 विष्णु क. लामापाद	159 159/4	0.504	रविश्ववीर
		4 बापेन्द्र लामापाद क.	160	0.110	रविश्ववीर
		5 ज्ञान (पलाभिन) काविव	मरोलनि हरिश्चन्द्र		विश्ववीर
		6 मंगरी केवा मुखीर,	13	2.015	मुखीर
		रत्न कशीर, भोला,			नयन
		जनेश्वर ल. मुखीर			

आजकी प्रजावनी
पिना खुशीर ।

सर्व मानसि से निर्वाय लिया
जाया है कि मानसमा से उपरिभन
सभी सदस्यो से अनका भुवि
आविवाहन होना है उनका कहना
है कि 8.00 लाख के. प्रति रुकड़
रख प्रत्येक परिवार को एकभर्गी करी

दिया जाए !

एक मानवारीयों का कहना
है हर परिवार से एक व्यक्ति को
नौकरी यदि दिया जाना है
तो मानसमा से प्रत्येक पारित
किया जाएगा ! यदि कसल खराब
भाईनों के चलने जानी है। तो
उनका भी मुश्किल दिया जाए ।

~~सुनील~~

~~सुनील~~

नरन सभा

~~सुनील~~

सुनील

प्रधान

मुख्य

कारि

सुनील

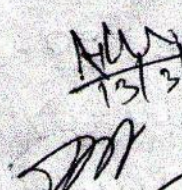
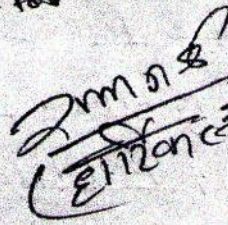
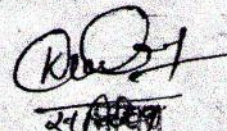
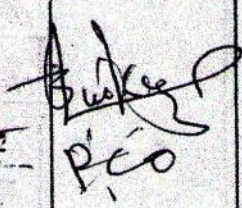
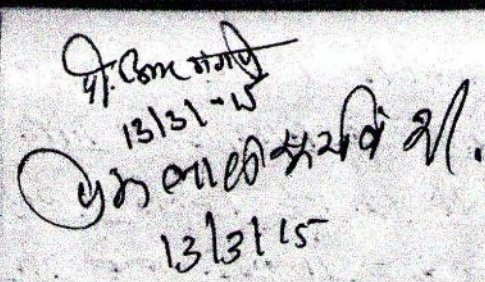
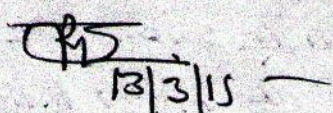
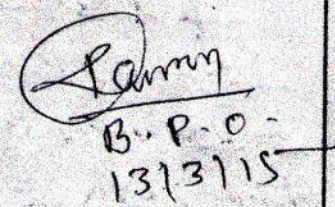
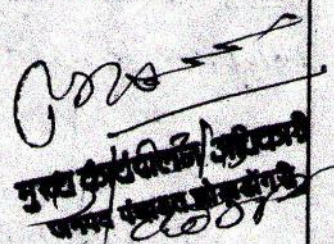
हरिना

कोडा

~~सुनील~~

४८ कार्यवाही (प्रस्ताव) पंजी

विकास खंड घोड़ाडोंगड़ी तह. घोड़ाडोंगड़ी जिला बैतूल

प्रस्ताव	निर्णय	पास हुए प्रस्ताव	सदस्यों के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान
	5	6	7
	के बाद ग्राम-सभा द्वारा निर्णय लिया जाएगा। वन विभाग द्वारा यदि प्रस्ताव नहीं दिया जाता है तो ग्राम-सभा द्वारा भी प्रस्ताव नहीं प्रदान किया जाएगा।  General Manager Ratheldhara 13/3/15  सचिव ग्राम पंचायत शक्तिगढ़ (हार्दिक चौराहा) 13/3  सचिव ग्राम पंचायत शक्तिगढ़ 13/3/15  P.C.O. 13/3/15		
	 ग्राम पंचायत शक्तिगढ़ 13/3/15  13/3/15  B.P.O. 13/3/15  ग्राम पंचायत शक्तिगढ़ 13/3/15		